न्यायालय श्रीमान् रेवेन्यू वोर्ड ग्वालियर, शाखा–सागर, जिला–सागर म.प्र.

निगरानी 142-I-15

1. कल्लू प्रसाद पिता जमना प्रसाद, उम्र–42 वर्ष,
निवासी– ग्राम सोरखी, तहसील–गढ़ाकोटा, जिला–सागर म.प्र.

2. परमलाल पिता खरगेराम अहिरवार, उम्र–65 वर्ष,
निवासी– रामवार्ड, पथरिया रोड, पावर हाऊस के सामने गढ़ाकोटा, तहसील–गढ़ाकोटा, जिला–सागर म.प्र.

................रिवीजनकर्तागण

// विरूद्ध //

कन्छेदी पिता मौजीलाल अहिरवार, उम्र–52 वर्ष करीब,
निवासी– ग्राम केंकरा, तहसील–गढ़ाकोटा, जिला–सागर म.प्र.

............................उत्तरवादी

रि.पि.क्र. –

ता. पेशी– 17/12/14

रिवीजन पिटीशन अंतर्गत धारा–50 एम.पी.एल.आर.सी. 1959

अधीनस्थ न्यायालय :–श्रीमान् तहसीलदार महोदय गढ़ाकोटा, रा.प्र.क्र.–22 अ/12 में पारित आदेश दिनॉक 06/09/13 से परिवेदित होकर, यह रिवीजन पिटीसन विधिक आधारों पर पेश करता है।

रिवीजन पिटीशनकर्तागण की प्रार्थना है :–

–: *संक्षिप्त विवरण* :–

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है, कि रिवीजन पिटीशनकर्ता की भूमि मौजा– सोरखी हार में प.ह.न.–32, में ख.नं.–24 एवं 25, रकबा क्रमशः– 1.08 एवं 1.00 हे. तहसील–गढ़ाकोटा, विकास खण्ड–रहली, जिला–सागर में स्थित है, तथा सीमान्तक कृषक कन्छेदी पिता मौजीलाल की भूमि ख.न.–31 भी उक्त मौजा एवं वि.ख. में स्थित है, जिसकी पैमाइश का आवेदन, उत्तरवादी द्वारा दिनॉक 10/04/13 को प्रस्तुत किया, जिसका रा.प्र.क्र. –22 अ/12–13 दर्ज किया जाकर, श्रीमान् आर.आई. महोदय को आदेशित किया गया, मौका दिनॉक 26/04/13 को सीमांकन कार्यवाही पूर्व कर, दिनॉक 06/09/13 को अंतिम आदेश पारित किया गया, जो विधि विरूद्ध एवं अवैधानिक होने से रिवीजनकर्ता दुखित होकर, यह रिवीजन पिटीशन विधिक आधारों पर प्रस्तुत करता है।

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक :—निगरानी—142—एक/2015 जिला—सागर

कल्लू प्रसाद व अन्य विरूद्ध कन्छेदी

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
22—08—2019	प्रकरण का अवलोकन किया गया । यह निगरानी तहसीलदार गढ़ाकोटा, जिला—सागर के प्रकरण क्रमांक 22/अ—12/2012—13 में पारित आदेश दिनांक 06—09—2013 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू—राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 27—07—2018 को हुये नवीन संशोधन के प्रभावशील दिनांक 25—9—2018 के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(क) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर, जिला—सागर के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। 2/ पक्षकार दिनांक 30—10—2019 को कलेक्टर के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों। (जे0के0 जैन) सदस्य	